न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 05 / 2016
RCMS No. : 2016/00414

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 मुन्नालाल पुत्र देवाराम जाति पंवार, मैसर्स माँ कृपा ट्रेडिंग कम्पनी, सूर्या कॉलोनी, मिशन स्कूल के सामने, पाली 2 कुनाल चन्दानी पुत्र सुरेश कुमार, मैसर्स कुन्दन एडीबल ऑयल इण्डस्ट्रीज, खसरा नम्बर 313 / 1 बाईपास के पास, गणेशपुरा ब्यावर निवासी 31, शास्त्री नगर, ब्यावर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 23/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उनके प्रतिनिधी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 2 अथवा उनके प्रतिनिधी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं। प्रार्थी की बहस एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 21.09.2015 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स माँ कृपा ट्रेडिंग कम्पनी, सूर्या कॉलोनी, मिशन स्कूल के सामने, पाली से अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में वहां बिक्री हेतु रखे हुए 105 बोतल (प्रत्येक में 500 एम. एल.) सोया रिफाईण्ड तेल (प्रशान्त गोल्ड) में से 4 बोतल (2000 मि.ली.) सोया रिफाईण्ड तेल (प्रशान्त गोल्ड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सोया रिफाईण्ड तेल (प्रशान्त गोल्ड) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–360 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया मूंगफली तेल को Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Mis Branded सोया रिफाईण्ड तेल (प्रशान्त गोल्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो सामग्री तैयार की गई है, उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई, मात्र पैकिंग के आवरण में हुई गलती के कारण उक्त नमूना मिथ्याछाप का पाया गया हैं, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 क्षमा प्रार्थी हैं तथा उक्त गलती भविष्य में दुबारा नहीं होगी। इस कारण अप्रार्थी को न्यूनतम जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुए प्रकरण को ड्रॉप कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2015 को अप्रार्थी की फर्म से सोया रिफाईण्ड तेल (प्रशान्त गोल्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–360 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./692/एक्ट/2015/692 दिनांक 30.09.2015 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–360 को Mis Branded माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आंशिक स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य वस्तु सोया रिफाईण्ड तेल (प्रशान्त गोल्ड) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 1,25,000/– अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये कुल 1,35,000/– अक्षरे एक लाख पैत्तीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली